



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

सिटिंग नोटिस

फा. सं.: NCST/DEV-2155/GJ/8/2023-ESDW (RU-I)

दिनांक: 20.12.2024

श्री नैमेश दवे,
जिला कलक्टर, वलसाड,
जिला सेवा सदन, धरमपुर रोड,
वलसाड-396001, गुजरात,
ई-मेल: collector-val@gujarat.gov.in

डॉ. करणराज वाघेला,
पुलिस अधीक्षक, वलसाड,
कार्यालय पुलिस अधीक्षक, धरमपुर रोड,
जिला-वलसाड-396001, गुजरात,
ई-मेल: sp-val@gujarat.gov.in

विषय: श्री छोटे खेड़तो को धमकी देकर व पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर भूमि का अतिक्रमण करने के संबंध में श्री शंकरभाई मंगलभाई वारली, पूर्व एम. एल. ए., काउंसिल के कारोबारी सदस्य, गुजरात विधानसभा गांधीनगर, मुं./पो.-कनाडु, स्टे. भीलाड, तहसील-उमरगाम, जिला-वलसाड, गुजरात-396150 से दिनांक 02.08.2023 का अभ्यावेदन।

संदर्भ 1: आयोग का संसंख्यक नोटिस दिनांक 31.08.2023 (प्रति संलग्न).

महोदय/महोदया,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है। श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/ की जाने वाली कार्रवाई के लिए नई दिल्ली स्थित आयोग के न्यायालय कक्ष, छठी मंजिल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में दिनांक 07.01.2025 को अप्राह्न 06:00 बजे सिटिंग निर्धारित की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से और माननीय अध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते/होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

((एच. आर. मीना)

अनुसंधान अधिकारी

ई-मेल: rk.dubey@ncst.nic.in

दूरभाष: 011-24615012

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्री शंकरभाई मंगलभाई वारली,
पूर्व एम. एल. ए.,
काउंसिल के कारोबारी सदस्य,
गुजरात विधानसभा गांधीनगर,
मुं./पो.-कनाडु, स्टे. भीलाड, तहसील-उमरगाम,
जिला-वलसाड, गुजरात-396150